संख्या-93/78-2-2009-22आई.टी/2005

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
रायबरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर।
2. स्टेट इन्फारमेटिक आफिसर,
एन.आई.सी., उ.प्र. एकक,
लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक: 2 जुलाई 2009

विषयः ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं को सम्बन्धित जनपदों में स्थापित/स्थापित किए जा रहे जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत आच्छादित 23 सेवाओं को सम्बन्धित 6 जनपदों के जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के प.सं. -781/78-2-2009-09आई.टी./2009टी.सी. दिनांक 9 जून, 2009 द्वारा निर्देश भेजे गए थे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना में विभिन्न स्तरों पर उपयोग किए जाने वाले यूजर आईडी, पासवर्ड तथा प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर हेतु वर्तमान में निम्नानुसार अनुमन्यता प्रदान की जाती है:-

1. विभिन्न प्रकार की चयनित सेवाएं जो कि ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के जन सुविधा केन्द्रों तथा कामन सर्विस सेन्टर योजना के अन्तर्गत स्थापित/थापित किए जा रहे जन सेवा केन्द्रों से उपलब्ध करायी जाएंगी, के लिए उत्तरदायी विभिन्न विभागों (जनपद स्तर के विभागों को सम्मिलित करते हुए) में सक्षम स्तर पर इलेक्ट्रानिक प्रोसेस द्वारा प्रकरणों के निस्तारण किए जाने का भी निर्णय लिया गया है जिसके लिए सक्षम स्तर द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी संस्तुति/स्वीकृति इलेक्ट्रानिक माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए दी जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर एवं इससे सम्बन्धित प्रक्रिया को आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं.-198/78-2-2009-09आई.टी./2006 दिनांक 5 जनवरी, 2009 द्वारा अनुमन्यता प्रदान की जा चुकी है।
2. ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत जन सेवा केन्द्रों एवं जन सुविधा केन्द्रों से जो प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे, उन पर सम्बन्धित केन्द्रों के अधिकृत व्यक्तियों को केन्द्र की मोहर के साथ इस आशय के प्रमाण के साथ कि 'अमुक प्रमाण-पत्र जिसे शासन द्वारा अधिकृत इस केन्द्र से शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा डिजिटली रूप में हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त जारी किया जा रहा हैं हस्ताक्षर किए जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है। ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत स्थापित जन सुविधा केन्द्रों पर हस्ताक्षर हेतु जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धितों को अधिकृत किया जाएगा जबकि जन सेवा केन्द्रों के लिए चयनित ग्राम स्तरी उद्यमी (वीएलई) को सम्बन्धित जनपद के सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) द्वारा अधिकृत किया जाएगा तथा प्रत्येक केन्द्र के लिए अधिकृत किए जाने वाले व्यक्ति को सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को दी जाएगी। जन सेवा केन्द्रों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों मे उनके स्तर से यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सुसंगत नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

1590

3. जन सेवा केन्द्रों का ई-डिस्ट्रिक्ट योजना से इन्टरफेस प्रदान करने के लिए समस्त जन सेवा केन्द्रों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड के निर्देश उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 9 जून, 2009 द्वारा भेजे गए हैं। इसी क्रम में एनआईसी द्वारा निम्न विवरणानुसार जन सेवा केन्द्रों को स्थापित किए जाने के लिए सम्बन्धित जनपदों की चयनित सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) को यूजर आईडी एवं पासवर्ड सीधे उपलब्ध कराए जाएंगे तथा सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा ये पासवर्ड सम्बन्धित जनपदों के जन सेवा केन्द्रों के वीएलई को आवंटित करते हुए उनका प्रबन्धन/रख-रखाव किया जाएगा तथा वीएलई को आवंटितयूजर आईडी एवं पासवर्ड का विवरण एनआईसी को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी भेजी जानी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। एनआईसी के माध्यम से सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) को उपलब्ध कराए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का यदि सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) अथवा उनके वी.एल.ई. द्वारा दुरूपयोग किया जाता है तो उसके लिये संबंधित सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) उत्तरदीयी होंगी तथा सुसंगत नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत संबंधित सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

क्र.	जनपद का नाम	सम्बन्धित जनपद के लिए चयनित सर्विस सेन्टर एजेन्सी	सम्बन्धित सर्विस सेन्टर एजेन्सी के पत्राचार का पता
1	रायबरेली, सीतापुर एवं गोरखपुर,	मै. एस.आर.ई.आई. इन्फ्रास्टक्चर फाइनेन्स लि.	मेजर आशुतोष श्रीवास्तव, एसआरईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स लि., 401-402, द्वितीय तल, सहारा ट्रेड सेन्टर, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016
2	सुल्तानपुर	मै. कामेट टेक्नालाजिज़ (प्रा.) लि.	श्री यू.बी. वोहरा, कामेट टेक्नालॉजीज प्रा.लि., 220, मुरली भवन, 10ए अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001
3	गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर।	मै. 3-आई. इन्फोटेक लि.	श्री मनोज कुमार, 3-आई इन्फोटेक लि., ए-26/2, मोहन कोआपरेटिव, एयरटेल बिल्डिंग के पीछे, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044

उपरोक्तानुसार समस्त अपेक्षित कार्यवाहियॉं प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुए शासन को अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या- 931 (1)/78-2-2009 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफिसर, मा. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ.प्र.।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, विभाग, उ.प्र. शासन।
4. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित सर्विस सेण्टर एजेन्सीज यथा मै. 3-आई. इन्फोटेक लि., मै. कामेट टेक्नालाजिज़ (प्रा.) लि. एवं मै. एस.आर.ई. आई. इन्फ्रास्टक्चर फाइनेन्स लि.।
6. मैं आई.एल. एण्ड एफ.एस. के लखनऊ स्थित स्थानीय प्रतिनिधि।

आज्ञा से,

(डी.एस. श्रीवास्तव)
विशेष सचिव